न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 113/2024

अनवान : –

1. ओम प्रकाश पुत्र दीपाराम ढ़ाका जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
2. हरिसिंह पुत्र दीपाराम जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
3. देसराज पुत्र दीपाराम जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
4. संतलाल पुत्र दीपाराम जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।

– वादीगण

बनाम्

1. केशर पुत्री दीपाराम जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
2. सरबती पुत्री दीपाराम जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
3. मंजू पुत्री सावित्री देवी पुत्री दीपाराम जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
4. उर्मिला देवी पुत्री रामप्यारी पुत्री दीपाराम जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
5. सोहनलाल पुत्र रामप्यारी पुत्री दीपाराम जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
6. महेन्द्र कुमार पुत्र रामप्यारी पुत्री दीपाराम जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
7. प्रमेश्वरी पत्नी रामकुमार जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
8. मुकेश पुत्र रामकुमार जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
9. रोहताश पुत्र रामकुमार जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
10. सुमन पुत्र रामकुमार जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 15/03/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा 4 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–76 के खाता संख्या 63/21 की कुल 0.7590 हैक्ट भूमि व खाता संख्या 81/22 की कुल 1.6440 हैक्ट भूमि एवं रोही मौजा 1 केएनएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071–74 के खाता संख्या 125/110 की कुल 3.9090 हैक्ट भूमि व खाता संख्या 128/112 की कुल 0.5060 हैक्ट भूमि एवं खाता संख्या 127/111 की कुल 0.2530 हैक्ट भूमि मुश्तरका खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्मजात हक हिस्सा है वादीगण के पिता दीपाराम पुत्र खेमा के स्वर्गवास के बाद ओम प्रकाश, हरिसिंह, देशराज, रामप्यारी, केसर, सावित्री देवी, सरबती वारिस हुए जिसमें से रामप्यारी का स्वर्गवास हो चुका है जिसके वारिस उर्मिला, रामकुमार, सोहनलाल व मेहन्द्र कुमार हुए तथा रामकुमार पुत्र रामप्यारी का स्वर्गवास हो चुका है जिसके एक मात्र वारिस मन्जु है तथा दीपाराम पुत्र खेतराम के देहान्त के बाद उक्त भूमि वारिसान के नाम वारिसान दर्ज हुई।

प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 जो की वादीगण की बहिने है तथा प्रतिवादी संख्या 3 वादीगण की मृतक बहिन सावित्री की पुत्री है तथा प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 एवं 7 ता 10 जसे की वादीगण की मृतक बहिन रामप्यारी व उसके मृतक पुत्री रामकुमार के वारिस है उपरोक्त भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:36:47 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहते है अपना जो भी हक हिस्सा है अपने भाईयो/मामा/ससुर/पिता के पक्ष में परित्याग कर चुके है। बाद हक त्याग प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 10 का उक्त वाद भूमि मे कोई हक हिस्सा शेष नही बचा है एवं वादीगण संख्या 1 ता 4 बहिब काबिज है। वादी जिसकी न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 ता 10 की तरफ से श्री सुनील कटारिया ने वकालतनामा पेश कर इकबाल जवाब पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 11 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी सम्वत 2073–76 रोही मौजा 4 जेएसन खाता संख्या 81/22, 63/21, रोही मोजा 1 केएनएन खाता संख्या 125/110, 128/112, 127/111, मृत्यु प्रमाण पत्र रामकुमार आदि दस्तावेज पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है जो की वर्तमान में रामकुमार व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 के नाम दर्ज है रामकुमार पुत्र रामप्यारी का स्वर्गवास हो चुका है उक्त वाद भूमि पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 10 का जन्म से हक हिस्सा है। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 10 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:36:47 IST
Reason: SelfAttested

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस सुनी गई किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा 4 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–76 के खाता संख्या 63/21 की कुल 0.7590 हैक्ट भूमि व

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

खाता संख्या 81/22 की कुल 1.6440 हैक्ट भूमि एवं रोही मौजा 1 केएनएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071–74 के खाता संख्या 125/110 की कुल 3.9090 हैक्ट भूमि व खाता संख्या 128/112 की कुल 0.5060 हैक्ट भूमि एवं खाता संख्या 127/111 की कुल 0.2530 हैक्ट भूमि मृतक रामकुमार व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 के नाम मुश्तरका खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है उभयपक्ष ने उक्त वाद भूमि हिन्दु परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक कृषि भूमि होना जाहिर किया है। वादी का कथन है कि रामकुमार पुत्र रामप्यारी का देहान्त हो चुका है तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 10 ने उक्त समस्त वादी भूमि में अपना हक हिस्सा वादीगण के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है वादीगण के उक्त कथनो को प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया गया है कि वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 को कोई ऐतराज नही है। अतः वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 4 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–76 के खाता संख्या 63/21 की कुल 0.7590 हैक्ट भूमि व खाता संख्या 81/22 की कुल 1.6440 हैक्ट भूमि एवं रोही मौजा 1 केएनएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071–74 के खाता संख्या 125/110 की कुल 3.9090 हैक्ट भूमि व खाता संख्या 128/112 की कुल 0.5060 हैक्ट भूमि एवं खाता संख्या 127/111 की कुल 0.2530 हैक्ट भूमि उक्त सभी खातों में मृतक रामकुमार पुत्र रामप्यारी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण संख्या 1 ता 4 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं रोही मौजा 5 ए बारानी तहसील नोहर के खाता संख्या 329/293 की कुल 0.253 हैक्ट भूमि में वादी संख्या 3 का नाम मुरारीलाल उर्फ देशराज के स्थान पर देशराज का संशोधन किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 15/03/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:36:47 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 113/2024

अनवान : –

1. ओम प्रकाश पुत्र दीपाराम ढ़ाका जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
2. हरिसिंह पुत्र दीपाराम जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
3. देसराज पुत्र दीपाराम जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
4. संतलाल पुत्र दीपाराम जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।

– वादीगण

बनाम्

1. केशर पुत्री दीपाराम जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
2. सरबती पुत्री दीपाराम जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
3. मंजू पुत्री सावित्री देवी पुत्री दीपाराम जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
4. उर्मिला देवी पुत्री रामप्यारी पुत्री दीपाराम जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
5. सोहनलाल पुत्र रामप्यारी पुत्री दीपाराम जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
6. महेन्द्र कुमार पुत्र रामप्यारी पुत्री दीपाराम जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
7. प्रमेश्वरी पत्नी रामकुमार जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
8. मुकेश पुत्र रामकुमार जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
9. रोहताश पुत्र रामकुमार जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
10. सुमन पुत्र रामकुमार जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 113 सन 2024 निर्णय दिनांक – 15/03/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री रविन्द्र गोदारा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 4 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–76 के खाता संख्या 63/21 की कुल 0.7590 हैक्ट भूमि व खाता संख्या 81/22 की कुल 1.6440 हैक्ट भूमि एवं रोही मौजा 1 केएनएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071–74 के खाता संख्या 125/110 की कुल 3.9090 हैक्ट भूमि व खाता संख्या 128/112 की कुल 0.5060 हैक्ट भूमि एवं खाता संख्या 127/111 की कुल 0.2530 हैक्ट भूमि उक्त सभी खातों में मृतक रामकुमार पुत्र रामप्यारी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण संख्या 1 ता 4 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं रोही मौजा 5 ए बारानी तहसील नोहर के खाता संख्या 329/293 की कुल 0.253 हैक्ट भूमि में वादी संख्या 3 का नाम मुरारीलाल उर्फ देशराज के स्थान पर देशराज का संशोधन किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक .... को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:36:47 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर